न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रकाशचन्द पवन
आर0 ए0 एस0

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
80/अपील/2016	05/08/2016	28.02.2017

रमेश आ0 सूरजमल जाति महाजन निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)

–अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार करवर जिला बून्दी (राज0)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.03.2016 नायब तहसीलदार करवर अन्तर्गत धारा 91 लेण्ड रेवन्यू एक्ट अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से – श्री रतनसिंह राणावत अभि0
रेस्पो0 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार करवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय मे पेश की गयी है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी ख0न0 814 रकबा 39 गुणा 31 बराबर 1209 वर्गफीट किस्म गे.मू. पाल बाके ग्राम करवर तहसील नैनवॉ का अतिचारी मानते हुये बेदखली, पैनाल्टी 50 रूपये से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभीभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश में अंकित विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है न ही उक्त आराजी पर कब्जा है। अपीलान्ट का आबादी भूमि ख0न0 1874 गे.मू. आबादी में योजना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा काटे गये भू खण्ड नीलामी पर क्रय की गयी भूमि पर पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर मकान बनाया हुआ है जिस पर मय परिवार के वर्षो से निवास कर रहा है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय

में पट्टा भी पेश किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कोई जांच नहीं की है, पटवारी के बयान भी नहीं लिये गये है। भूमि ख0न0 814,815,816 गे.मू. आबादी है जिसके अधिकार ग्राम पंचायत को है। आबादी भूमि में अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध ग्राम पंचायत राजस्थान अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में कार्यवाही करने के अधिकार ग्राम पंचायत को है। अधिनस्थ न्यायालय को आबादी भूमि से बेदखल करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति जांच नहीं की गयी है और कोई सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित एवं न्यायसंगत है। उक्त विवादित भूमि गे.मू. तालाब की भूमि है जिसे विक्रय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है और सुनवायी का समुचित अवसर दिया गया है। गे.मू. तालाब की भूमि सार्वनजिक उपयोग की भूमि है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण करके मकान का निर्माण करवाया है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उक्त विवादित भूमि गे.मू. तालाब की भूमि है। रिपोर्ट पटवारी प्राप्त होने पर दर्ज कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ हैं। अपीलान्ट ने पट्टा दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। मौका स्थिति की जांच नहीं करवायी गयी है कोई साक्ष्य पटवारी या स्वतंत्र साक्ष्य नहीं लिये गये है। पटवारी रिपोर्ट में विवादित भूमि गे.मू. तालाब अंकित है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भूमि गे.मू. पाल अंकित की गयी है। पटवारी रिपोर्ट के विशेष विवरण मे भूमि ग्राम पंचायत करवर के नाम अंकित होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका स्थिति एवं रेकार्ड की कोई जांच नहीं की गयी है यदि ग्राम पंचायत द्वारा गे.मू. पाल या गे.मू. तालाब भूमि को अनाधिकृत रूप से विक्रय करके पट्टे जारी किये गये है तो सक्षम न्यायालय में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे निरस्त करने हेतू रेफरेन्स (निगरानी) प्रस्तुत करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति एवं रेकार्ड की जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश बेदखली एवं शास्ती निरस्त किया जाता है तथा मौके की स्थिति एवं रेकार्ड की जांच कर नियमानुसार पट्टे निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रस्तुत करें। पत्रावली फैशल में शुमार होकर बादतकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाशचन्द पवन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी